



शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

प्रति,
मा.प्राचार्य/संचालक,
सर्व संलग्न महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त संस्था,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.

महोदय/महोदया,

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने मा.विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण), कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांनी पाठविलेले जा.क्र.: विससं/उशि/कोवि/२०१८/३२८८, दि.१३ ऑगस्ट, २०१८ चे पत्र आपल्या माहितीसाठी व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी सोबत पाठविले आहे. त्यानुसार कार्यवाही करावी तसेच सदरबाबतची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी.

कळावे,

सोबत - वरीलप्रमाणे.

संदर्भ क्र. संलग्नता/टी-२/१०८
दि.

14 AUG 2018

आदेशान्वये,

उपकुलसचिव

महाराष्ट्र शासन

विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

राजाराम महाविद्यालय परिसर, विद्यानगर, कोल्हापूर - ४१६ ००४

E-mail: jtdirhekop@rediffmail.com

फोन क्र. : (०२३१) २५३५४००, २५३५४५४

फॅक्स : (०२३१) २५३५४००

जा.क्र. : विसस/उशि/कोवि/२०१८/ ३ २४ ९

दिनांक :-

13 AUG 2018

प्रति,

१. कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर,

२. प्राचार्य,

सर्व अशासकीय, अनुदानित / विनाअनुदानित / कायम विनाअनुदानित,
कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी व शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय,
कोल्हापूर / सांगली / सातारा.

विषय :- राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची
प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत..

उपरोक्त विषयांकित बाबत सूचित येते की, उच्च शिक्षण विभागामार्फत राबविल्या जाणा-या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतीपुर्ती योजना व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना आणि अन्य तत्सम शिष्यवृत्ती योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी, तसेच पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत सदरहू योजनेचा लाभ पोहोचविण्याच्या दृष्टीने सहाय्यक / पूरक यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने महाविद्यालय / विद्यापीठ स्तरावर तातडीने पुढीप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

१. शिष्यवृत्ती समुपदेशन कक्ष -

प्रत्येक महाविद्यालयात तसेच विद्यापीठ स्तरावर प्राध्यापकांच्या सहकार्याने त्रिसदस्यीय शिष्यवृत्ती समुपदेशन कक्षाची स्थापना करावी. त्यापैकी एक महिला सदस्य असाव्यात. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना कोणकोणत्या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळू शकता, त्या शिष्यवृत्तीचे स्वरूप व अनुषंगिक बाबींसंदर्भात विद्यार्थ्यांना उद्बोधन करणे व त्यांच्या अडचणींचे निराकरण करण्याचे कार्य प्रस्तुत शिष्यवृत्ती समुपदेशन कक्ष करेल.

सदर समुपदेशन कक्ष हे महाविद्यालयाच्या नियमित वेळेपूर्वी अर्धा तास व महाविद्यालयाच्या वेळेनंतर अर्धा तास सुरु राहिल. शक्य झाल्यास महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांच्यासाठी एकदिवसीय शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन करावे.

२. शिष्यवृत्ती सुविधा केंद्र -

प्रत्येक महाविद्यालयाने शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्यासाठी स्वतंत्र संगणक कक्ष उभारावा व शिष्यवृत्ती सुविधा केंद्रात ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरिता संगणक सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावी.

- अर्ज हे स्वतः विद्यार्थ्यांनीच भरावयाचे आहेत.
- महाविद्यालयाने त्याकरिता विद्यार्थ्यांकडून कुठलेही शुल्क आकारू नये.

३. सूचना फलक -

- राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनांची माहिती महाविद्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात यावी. (सोबत नमुना जोडला आहे)
- उच्च शिक्षण विभागामार्फत देण्यात येणा-या अकरा शिष्यवृत्तींची माहिती सूचना फलकावर लावण्यात यावी. (सोबत संक्षिप्त माहिती जोडली आहे.)

वरील बाबींची तात्काळ अंमलबजावणी करून तसा पूर्तता अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. तसेच, पुढील सन २०१८-१९ च्या नियोजनाच्या दृष्टीने आजरोजीची सद्यस्थिती विचारात घेऊन महाविद्यालयाच्या एकूण (अनुदानित / विनाअनुदानित/कायम विनाअनुदानित) विद्यार्थ्यांची माहिती पुढील तक्त्यात सादर करावी.

सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता आजरोजीची सद्यस्थितीतील प्रवेशित एकूण विद्यार्थी (अनुदानित / विनाअनुदानित / कायम विनाअनुदानित) विद्यार्थ्यांची माहिती.


| खुल्या प्रवर्गातील प्रवेशित विद्यार्थी संख्या | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------|
| उत्पन्न १ लाक्षापेक्षा कमी | उत्पन्न १ लाख ते ८ लाख मधील | उत्पन्न ८ लाख पेक्षा जास्त | एकूण |
| | | | |
| | | | |

महाविद्यालयांकडून केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा व साप्ताहिक अहवाल

महाविद्यालयांनी सादर अहवाल दर सोमवारी शिवाजी विद्यापीठास न चुकता सादर करावा

| अ.क्र. | महाविद्यालयाचे नाव | राबविलेल्या उपक्रमाचे नाव | दिनांक | एकूण लाभार्थींची संख्या |
|--------|--------------------|---------------------------|--------|-------------------------|
| १. | | | | |
| २. | | | | |

विद्यार्थ्यांसाठी सुलभतेने अवलोकन करता येईल अशी माहिती दर्शनी भागात लावावी, महाविद्यालयात शिष्यवृत्ती समुपदेशन कक्ष स्थापन करावा, शिष्यवृत्ती सुविधा केंद्र स्थापन करावे, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीविषयी आवश्यक मार्गदर्शन करणे तसेच अन्य पुरक उपक्रम नियमितपणे राबवून त्याचा अहवाल सादर करावा.


(डॉ. अजय साठे,)
विभागीय सहसंचालक (उ.शि.)
कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर.

सोबत :-

१. योजनांची माहिती दर्शक बॅनरचे प्रारूप,
२. उच्च शिक्षण विभागामार्फत राबविल्या जाणा-या आकरा शिष्यवृत्तीच्या संक्षिप्त माहितीचा तक्ता.
३. शिष्यवृत्ती संदर्भातील महत्वाचे शासन निर्णय.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती

| अ.क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ | योजनेचे नाव | राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना |
| २ | योजनेबद्दलचा शासन निर्णय | १. शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, दि.७/१०/२०१७ २. शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१८/प्र.क्र.३५/तांशि-४, दि.३१/३/२०१८ |
| ३ | योजनेचा प्रकार / स्वरूप | उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील शासकीय / अशासकीय अनुदानित / अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान - विना अनुदान) / कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये व अकृषि विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांतर्गत असलेल्या उपकेंद्रामधील (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयंअर्थसहाय्यीत खाजगी विद्यापीठे वगळून) व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणा-या ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्तीचा लाभ देय आहे. |
| ४ | योजनेचा उद्देश | मान्यताप्राप्त व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणा-या ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्तीचा लाभ देणे. |
| ५ | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव | सर्व संवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी |
| ६. | योजनेच्या प्रमुख अटी | १. महाराष्ट्रातील अधिवासधारक व वादग्रस्त महाराष्ट्र - कर्नाटक सिमा क्षेत्रातील विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे. २. सदर योजनेचा लाभ हा कुटुंबातील केवळ दोन अपत्यांपर्यंत मर्यादित असेल. ३. या योजनेचा लाभ दूरस्थ पध्दतीने (Open /Distance/Virtual Learning) अथवा अर्धवेळ (Part - Time) स्वरूपात चालविल्या जाणा-या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही ४. सदर योजनेंतर्गत देण्यात येणारा लाभ शासन निर्णयामध्ये निर्धारित केलेल्या निवडक पूर्णवेळ अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणा-या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठीच मर्यादित राहिल. ५. वरीलप्रमाणे नव्याने निर्धारित केलेल्या अभ्यासक्रमांपैकी व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना संबंधित अधिनियमातील तरतुदीनुसार शासनाने प्रवेश प्रक्रियेकरिता नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरणाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) / शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या पध्दतीनुसार प्रवेश घेणे बंधनकारक आहे. ६. शासनाने विविध शिष्यवृत्ती योजनांपैकी केवळ कोणत्याही एकाच योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास संबंधित विद्यार्थी पात्र असेल. ७. सदर योजनेच्या लाभाकरिता शासकीय अथवा शासन अनुदानित शैक्षणिक संस्था किंवा शासकीय विद्यापीठ यांचेबाबतीत शासनाने निर्धारित केलेली व अन्य सर्व खाजगी अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदानावरील) व कायम विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्याबाबतीत संबंधित अधिनियमातील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकरणाने प्रत्येक वर्षी निश्चित केलेल्या शिक्षण शुल्काच्या आधारे अनुज्ञेय मर्यादेपर्यंतची रक्कम, विहित परीक्षा शुल्क आणि निर्वाह भात्ता हा शासन निर्णयात नमूद केलेल्या पध्दतीनुसार पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येईल. |

| | | |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>८. अर्जदार विद्यार्थ्यास प्रत्येक सत्र अथवा वर्षाची परीक्षा देणे आवश्यक राहिल.</p> <p>९. पात्र लाभार्थी विद्यार्थी अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश घेतल्यानंतर एखाद्या सत्राची (सेमिस्टरची) परीक्षा दिली नसल्यास अथवा एखाद्या शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झाल्याने त्या वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसल्यास पुढील वर्षाकरिता या योजनेतर्गत सदर विद्यार्थी लाभ मिळण्यास अपात्र राहिल.</p> <p>१०. तथापि, तदनंतर पुनश्च: त्या सत्रात / वर्षात परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर अथवा अंशतः उत्तीर्ण (ATKT) झाल्याने त्या अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाल्यास सदर योजनेतील लाभासाठी पुन्हा पात्र ठरेल.</p> <p>११. परंतु असे पात्र लाभार्थी विद्यार्थी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्यानंतर संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या एकूण कालावधीत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा पूर्णतः अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे त्या अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसल्यास संबंधित विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या उर्वरित कालावधीसाठी सदर योजनेतर्गत लाभाकरिता कायमस्वरूपी अपात्र ठरेल.</p> <p>१२. संबंधित विद्यार्थी स्वतःच्या चुकीच्या वर्तनामुळे समाधानकारक शैक्षणिक प्रगती करित नसल्याबाबत किंवा संबंधित प्राधिका-याच्या पूर्वपरवानगिशिवाय अनियमित असणे अथवा गैरहजर राहणे इ. स्वरूपाचे गैरवर्तन करत असल्याबाबत संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने निदर्शनास आणले तर अशा विद्यार्थ्यांची शुल्क शिष्यवृत्ती थांबविण्यात किंवा रद्द करण्यात येईल.</p> <p>१३. ज्या अभ्यासक्रमांकरिता पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली आहे तो अभ्यासक्रम संबंधित विद्यार्थ्यांने मध्येच सोडला तर अशा विद्यार्थ्यास प्रदान केलेल्या शिष्यवृत्तीची रक्कम राज्य शासनास योग्य वाटल्यास त्याच्या / तिच्याकडून वसूल केली जाईल.</p> <p>१४. लाभार्थी विद्यार्थी व संबंधित शिक्षण संस्था यांनी सदर योजनेतर्गत लाभ घेण्यासाठी सादर केलेल्या अर्जात चुकीची अथवा दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्यास त्यास उर्वरित अभ्यासक्रमाच्या कालावधिसाठी लाभ देण्यात येणार नाही. तसेच, त्या विद्यार्थ्याला / संस्थेला त्यांनी सादर केलेल्या चुकीच्या माहितीच्या आधारे त्यापूर्वी मिळालेल्या लाभाच्या संपूर्ण रकमेची व्याजासह वसुली करण्यात येईल व कोणत्याही अन्य योजनेतर्गत संबंधित विद्यार्थ्यास लाभ मिळण्यास प्रतिबंधित केले जाईल.</p> |
| ७ | आवश्यक कागदपत्रे | <p>१. सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले अधिवास प्रमाणपत्र.</p> <p>२. शैक्षणिक वर्षाच्या लगतपूर्वीच्या वित्तीय वर्षाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र विचारात घेऊन किमान संबंधित तहसिलदार अथवा सक्षम अधिका-याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.</p> <p>३. उपस्थिती प्रमाणपत्र ५० टक्केपेक्षा जास्त उपस्थिती.</p> |
| | | |

सदर योजनेसाठी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व निर्वाह भत्ता खालीलप्रमाणे लाभ देय आहेत.

१. शिक्षण शुल्क :-

| उत्पन्न मर्यादा | शुल्क प्रकार | अभ्यासक्रम | | | |
|----------------------------|--------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| | | शासकीय | अशासकीय अनुदानित | अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदानित - विनाअनुदानित | कायम विनाअनुदानित |
| व्यावसायिक अभ्यासक्रम | | | | | |
| रु. २.५० लाख पर्यंत | शिक्षण शुल्क | १००% | १००% | ५०% | ५०% |
| रु. २.५० लाख ते रु.८ लाख | शिक्षण शुल्क | ५०% | ५०% | ५०% | ५०% |
| बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम | | | | | |
| रु. ८ लाखापर्यंत | शिक्षण शुल्क | १००% | १००% | १००% | १००% |

२. परीक्षा शुल्क :-

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| व्यावसायिक अभ्यासक्रम | शासन नियमानुसार आकारण्यात येणा-या परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के |
| बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रम | शासन नियमानुसार आकारण्यात येणा-या परीक्षा शुल्काच्या १०० टक्के |

३. निर्वाह भत्ता :- ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.१.०० लाख

किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी.

| उत्पन्न मर्यादा | अभ्यासक्रम | शैक्षणिक वर्षातील दहा महिन्याकरिता अनुज्ञेय निर्वाह भत्ता |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| रु.१.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी | व्यावसायिक अभ्यासक्रम (अल्पभूधारक शेतकरी / नोंदणीकृत मजुरांचे पाल्य वगळून) | रु. ३,०००/- |
| | बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रम | रु. २०००/- |

राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना

१. सर्व संवर्गातील प्रवेशित पात्र विद्यार्थ्यांसाठी / आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थी.
२. एका कुटुंबातील केवळ दोन अपत्यांना लाभ.
३. शैक्षणिक वर्षाचे लागतचे किमान तहसिलदार यांचे पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.८ लाखांपेक्षा कमी असल्याचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र.
४. व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात ५० टक्के सुट.
(व्यवस्थापन कोटा / संस्था स्तरावरील प्रवेश वगळून) दुरस्थ पध्दत / अर्धवेळ स्वरूपातील अभ्यासक्रम वगळून, खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयंअर्थसहाय्यीत खाजगी विद्यापीठे वगळून
५. सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
६. कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षणशास्त्र, विधी, कृषी, पशुसंवर्धन, तंत्रनिकेतन, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय, १२ वी HSVC, १२ वी MCVC, या अभ्यासक्रमातील एकूण नमूद ५९५ कोर्सेससाठी ही योजना लागू आहे.
७. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरून शासन निर्णय दि.७ ऑक्टोबर, २०१७ व दि.३१ मार्च, २०१८ प्राप्त करून घेण्यात यावा.